ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) — 1

(1)

कम्पनी का शासन (1773 से 1858 तक)

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट -

1- भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था।

2- इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली।

3- इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी।

विशेषतायें -

1- बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर लार्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये।

RIBHU KUSHWAHA

2- कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।

3- कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया।

4- राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट -

~~1- इसे एक्ट ऑफ सैटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है।~~

1- इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक-पृथक कर दिया।

2- एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई।

(2)

1833 का चार्टर अधिनियम

1- ब्रिटिश भारत के केन्द्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था।

2- इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बैंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।

ताज का शासन [1858 से 1947 तक]

1858 का भारत शासन अधिनियम -

1- भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध।

2- इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया।

3- गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।

RIBHU KUSHWAHA

→ 1861 के भारत परिषद् अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुयी।

→ 1892 के अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये अधिकृत किया। परन्तु मतदान का अधिकार नहीं था।

→ 1909 के अधिनियम की विशेषताएं -

1- इस अधिनियम को 'मार्ले-मिंटो सुधार' के नाम से जाना जाता है।

लॉर्ड मार्ले — भारत के राज्य सचिव

लॉर्ड मिंटो — वायसराय

2- इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया।

सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने।

3- इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।
लार्ड मिन्टो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है।

भारत शासन अधिनियम 1919

1- इस अधिनियम को मांटेग-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।

मांटेग - राज्य सचिव
चेम्सफोर्ड - वायसराय

2- इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था।

RAHU KUSHWAHA

3- इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधानपरिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया।

4- इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिये केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।

5- इसने पहली बार केन्द्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिये अधिकृत कर दिया।

(4)

भारत शासन अधिनियम, 1935

1- यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

2- इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया।

3 - अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियों - संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया।

4- इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया।

5- इसके अंतर्गत भारत में 1 अप्रैल, 1937 को एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

20 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की 30 जून, 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा।
इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही।

RIBHU KUSHWAHA

3 जून, 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे।
उसी दिन 3 जून, 1947 को वायसराय ने विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया।

14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियों को दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों - भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई।

लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमेनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई।